

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-207/16
संस्थापित दिनांक-11.07.2016
Filling no-235103002812016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- जगदीश पुत्र नारायण प्रसाद शर्मा उम्र 63 साल 2- नन्नीबाई उर्फ नर्मदाबाई पत्नी संजय उम्र 25 साल 3- जमुनाबाई पत्नी नारायण प्रसाद उम्र 75 साल निवासीगण - ग्राम नावनी चंदेरीआरोपीगण

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 25.07.2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 504/34, 323/34, 324/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 17.05.2016 को सुबह 9 बजे ग्राम नारोन थाना चंदेरी में फरियादी भारती को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे साशय अपमानित किया और लोक शांति भंग करने के आशय से या यह जानते हुए फरियादी को प्रकोपित कारित किया एवं फरियादी की मारपीट का सामान्य आशय सहअभियुक्त के साथ मिलकर निर्मित किया जिसके अग्रशरण में सहअभियुक्त नन्नीबाई, जगदीश द्वारा फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी की मारपीट का सामान्य आशय सहअभियुक्त नन्नीबाई, जगदीश के साथ मिलकर निर्मित किया जिसके अग्रशरण में आपने फरियादी को धारदार वस्तु से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक **25.07.2017** को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण जगदीश, जमुनाबाई, नन्नीबाई उर्फ नर्मदाबाई को भा.द.वि की धारा 504/34, 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी भारती पत्नी प्रदीप शर्मा निवासी ग्राम नारोन ने उप0 होकर थाना चंदेरी में मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 17.05.2016 सुबह 9 बजे की बात है कि वह अपने घर पर थी की उसकी सास

जमुनाबाई व ससुर जगदीश आए और उससे कहने लगे कि उनके घर से निकल तो उसने मना किया तभी जगदीश गाली गलौच करने लगा, तभी उसकी देवरानी नन्नीबाई आ गई उसने फरियादी की मारपीट की जिससे फरियादी को पीछे गर्दन में मूंदी चोट लगी व दाहिने हाथ की बीच की उंगली में चोट आई। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 17.05.2016 को सुबह 9 बजे ग्राम नारोन थाना चंदेरी में फरियादी भारती की मारपीट का सामान्य आशय सहअभियुक्त नन्नीबाई, जगदीश के साथ मिलकर निर्मित किया जिसके अग्रशरण में आपने फरियादी को धारदार वस्तु से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
-----------	---

:: सकारण निष्कर्ष ::

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी भारती अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना करीब 1 साल पहले की होकर सुबह 9 बजे की है। वह उसके घर पर थी तभी उसकी सास जमुनाबाई, ससुर जगदीश व देवरानी नन्नीबाई आए और उससे खाना बनाने को लेकर वाद विवाद एवं गाली गलौच करने लगे तथा उसके साथ आरोपीगण द्वारा झूमाझटकी भी करने लगे थे जिससे उसे हल्की सी चोट आ गई थी। उक्त घटना के संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी. 1 है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना का मानचित्र उसकी निशानदेही पर तैयार किया था जो प्र.पी.2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल कराया था तथा पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी का कहना है कि इसके अलावा आरोपीगण ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की थी।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण उसे गालियां देकर बोले की घर से निकल जा तो उसने

कहा कि घर उसका भी है। इस बात से इंकार किया कि इसी बात पर तीनो आरोपीगण उससे चैंट गये और मारपीट करने लगे जिससे उसकी गर्दन मुंदी चोट आई । इस बात से इंकार किया कि दांहिने हाथ की बीच की अंगुली में लोहे की नुकीली वस्तु से मारा चोट आई थी। इस बात से इंकार किया कि वह चिल्लाई तो रामू और छोटू आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया व घटना देखी। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 व पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकती। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने से न्यायालय में असत्य कथन कर रही हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि उसे आरोपीगण द्वारा किसी नुकीली वस्तु से नहीं मारा गया। बचाव पक्ष के इस सुझाब को सही बताया कि आरोपीगण एवं उसके बीच कोई झूमाझटकी से उसे हल्की चोटे आई थी। भारती अ0सा01 ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की।

08— अभियोजन साक्षी प्रदीप अ0सा02, रामू अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनो मे आरोपीगण को जानने वाली बात को स्वीकार किया किन्तु अभियोजन कहानी का उक्त साक्षीगण ने लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

09— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं फरियादी/आहत भारती, प्रदीप द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया है कि झूमाझटकी में भारती को हल्की सी चोट आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने भारती अ0सा01 के साथ कोई घटना कारित नहीं की तथा रामू अ0सा03 ने उसके न्यायालयीन कथनो में घटना की कोई जानकारी न होना एवं घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद न होना व्यक्त किया है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 17.05.2016 को सुबह 9 बजे ग्राम नारोन थाना चंदेरी में फरियादी भारती की मारपीट का सामान्य आशय सहअभियुक्त नन्नीबाई, जगदीश के साथ मिलकर निर्मित किया जिसके अग्रशरण में आपने फरियादी को धारदार वस्तु से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः आरोपी **जगदीश, नन्नीबाई उर्फ नर्मदाबाई, जमुनाबाई** के विरुद्ध धारा 324/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

11— प्रकरण में निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

12— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0